

## "सार्वजनिक अधिसूचना"

इसके द्वारा रेलवे लाइनों और परिसरों के सभी उपयोगकर्ताओं को नोटिस दिया जाता है कि उत्तर रेलवे के निम्नलिखित 25000 वोल्ट 50 हर्ट्ज ए.सी. सिरोपरी उपकरण तारों को खंड के खिलाफ निर्दिष्ट तिथियों पर और बाद में सक्रिय किया जायेगा। उसी तारीख को और उसके बाद ओवरहेड ट्रैक्शन लाइनों को हर समय लाइव माना जाएगा और कोई भी अनधिकृत व्यक्ति उक्त ओवरहेड लाइनों के निकटता में संपर्क या काम नहीं करेगा।

अनुभाग	दिनांक
शकूरबस्ती में अतिरिक्त ट्रेन हैंडलिंग सुविधाओं के विकास के विद्युतीकरण कार्य के लिए 25 केवी एसी सिंगल फेज ओएचई का विद्युतीकरण (सामान्य लूप लाइनों संख्या 1,2,3,4, रेत कूबड़, रोड साइडिंग, शंटिंग लाइन का विस्तार, संबंधित एक्स/ओ एवं टर्न आउट, 04 नग सहायक परिवर्तक का विद्युतीकरण और शकूरबस्ती यार्ड में किमी संख्या BS-1 चेनेज संख्या 8/192 to किमी संख्या 13/13 चेनेज संख्या 13/412.00)	11.10.23

### 25 केवी एसी कर्षण को चालु करना "सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए चेतावनी"

जनता की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि खंड पर 25 केवी एसी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन की नव विद्युतीकृत शकूरबस्ती यार्ड में। "शकूरबस्ती में अतिरिक्त ट्रेन हैंडलिंग सुविधाओं के विकास के विद्युतीकरण कार्य के लिए 25 केवी एसी सिंगल फेज ओएचई का विद्युतीकरण (सामान्य लूप लाइनों संख्या 1,2,3,4, रेत कूबड़, रोड साइडिंग, शंटिंग लाइन का विस्तार, संबंधित एक्स/ओ एवं टर्न आउट, 04 नग सहायक परिवर्तक का विद्युतीकरण और शकूरबस्ती यार्ड में किमी संख्या BS-1 चेनेज संख्या 8/192 to किमी संख्या 13/13 चेनेज संख्या 13/412.00) उत्तर रेलवे ने सभी समपारों पर स्पष्ट अधिकतम ऊंचाई 4.76 मीटर के साथ ऊंचाई पर गेज लगाए हैं और संपर्क तार सड़क स्तर से न्यूनतम 5.5 मीटर की ऊंचाई पर होंगे ताकि अत्यधिक ऊंचाई वाले भार को संपर्क में आने से रोका जा सके या लाइव ट्रैक्शन तार के खतरनाक निकट आने से रोका जा सके।

जनता को यह अधिसूचित किया जाता है कि वे लोडिंग वाहन के उद्देश्य से ऊपर निर्दिष्ट ऊंचाई का निरीक्षण करें और यह सुनिश्चित करें कि सड़क वाहनों में ले जाया गया भार किसी भी परिस्थिति में ऊंचाई गेज का उल्लंघन न करे।

**अत्यधिक ऊंचाई के भार का खतरा इस प्रकार है :**

1. ऊंचाई गेज के लिए खतरा और इसके परिणामस्वरूप सड़क के साथ-साथ रेलवे लाइन में बाधा।
2. ले जाने वाली सामग्री या उपकरण या वाहन के लिए खतरा।
3. कंडक्टरों के संपर्क या खतरनाक निकटता के कारण आग का खतरा और जीवन का खतरा।

उप मुख्य परियोजना प्रबंधक/  
गति शक्ति/दिल्ली उत्तर रेलवे  
डीआरएम कार्यालय नई दिल्ली